

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1971)

**THE UTTAR PRADESH CONTROL OF GOONDAS
ACT, 1970**

(U.P. Act No. 8 of 1971)

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970¹

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1971]

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 15 दिसम्बर, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 24 दिसम्बर, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 13 जनवरी, 1971 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 18 जनवरी, 1971 ई० को प्रकाशित हुआ।]

सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से गुंडों पर नियंत्रण करने और उनको दबाने के निमित्त विशेष व्यवस्था करने के लिये,

अधिनियम

भारत गणतंत्र के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम तथा
प्रसार

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

2—जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

परिभाषाएँ

(क) “जिला मजिस्ट्रेट” के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत कोई अपर जिला मजिस्ट्रेट भी है ;

2[(ख) गुण्डा का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है —

(1) जो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या सरगना के रूप में अभ्यासतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 या धारा 153 ख या धारा 294 या उक्त संहिता के अध्याय 15, अध्याय 16, अध्याय 17 या अध्याय 22 के अधीन दण्डनीय अपराध करता है, या करने का प्रयास करता है या करने के लिये दुष्प्रेरित करता है ; या

(2) जो स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो ; या

(3) जो संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 या आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25, धारा 27 या धारा 29 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये कम से कम तीन बार सिद्धदोष ठहराया गया हो ; या

(4) जिसकी सामान्य ख्याती है कि वह दुःसाहसिक और जनसमुदाय के लिये खतरनाक व्यक्ति है ; या

(5) जो अभ्यासतः स्त्रियों या लड़कियों के प्रति अशिष्ट उक्ति कहता रहा हो या उनसे छेड़खानी करता रहा हो ; या]²

1. उद्देश्य व कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 15 मई, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 1, 1985 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

1[(6) जो दलाल (टाउट) है ;

स्पष्टीकरण—“दलाल” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो —

(क) किसी व्यक्ति को अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिये किसी प्रकार का परितोषण किसी लोक सेवक या सरकार या संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य को भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा केन्द्रीय या राज्य सरकार, संसद या राज्य विधान मण्डल, किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम, सरकारी कम्पनी या लोक सेवक से कुछ करने या कुछ करने से प्रविरत रहने या किसी व्यक्ति के प्रति अनुग्रह करने या अनुग्रह न करने या किसी व्यक्ति का उपकार या अपकार करने का प्रयत्न करने को उत्प्रेरित करने के लिये प्रतिग्रहीत करता है या अभिप्राप्त करता है या प्रतिग्रहीत करने को सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है ; या

(ख) विधि व्यवसाय में हितबद्ध किसी विधि व्यवसायी द्वारा प्रस्तावित किसी पारिश्रमिक के प्रतिफल स्वरूप उस व्यवसाय में किसी विधि व्यवसायी का नियोजन प्राप्त करता है या उसको प्राप्त करने के लिये किसी विधि व्यवसायी से या विधि व्यवसाय में हितबद्ध किसी व्यक्ति से, उनमें से किसी के द्वारा प्रस्तावित किसी पारिश्रमिक के प्रतिफल स्वरूप प्रस्ताव करता है ; या

(ग) **स्पष्टीकरण** :— (क) या (ख) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिये सिविल, दाण्डिक या राजस्व न्यायालयों के अहातों में राजस्व या अन्य कार्यालयों, आवासिक कालोनी या निवास स्थानों या उपर्युक्त स्थानों या रेल या बस स्टेशनों, उतरने के स्थानों, उठरने के स्थानों के अन्य लोक समागम स्थलों के आस-पास आता-जाता है ; या

(7) गृह अपग्राही है,

स्पष्टीकरण :—“गृह अपग्राही” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भवन का, जिसके अन्तर्गत भवन से सम्बद्ध भूमि, बाग, गैराज या वाह्यगृह भी है, अप्राधिकृत कब्जा लेता है या लेने का प्रयत्न करता है या उसके लेने में सहायता देता है या उसके लिये दुष्प्रेरित करता है या भवन में विधिपूर्वक प्रवेश करने के उपरान्त उस पर अविधिपूर्वक कब्जा बनाये रखता है ।¹

2[(8) जो साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 के अधीन दण्डनीय अपराध में अन्तर्ग्रस्त हो ;

(9) जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1966 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधिन दण्डनीय अपराध में अन्तर्ग्रस्त हो ;

(10) गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में उपबन्धों के उल्लंघन में मवेशियों के अवैध परिवहन और/या तस्करी के कार्यों में अन्तर्ग्रस्त हो ;

(11) वाणिज्यिक शोषण, बलातश्रम, बंधुआ श्रम, बाल श्रम, यौन शोषण, अंग हटाने तथा दुर्व्यापार, भिक्षावृत्ति और इसी प्रकार के क्रियाकलापों के प्रयोजनों हेतु मानव दुर्व्यापार में अन्तर्ग्रस्त हो ।²

3—(i) यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि —

(क) कोई व्यक्ति गुण्डा है ; और

गुंडों का
बहिष्कासन इत्यादि

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 1, 1985 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 13, 2016 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

(ख) (i) जिले या उसके किसी भाग में उसकी गतिविधियां या कार्य व्यक्तियों की जान या सम्पत्ति के लिये संत्रास, संकट या अपहानि करते हैं या करने के लिये आयोजित है ; या

1[(ii) ऐसा विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह जिले या उसके किसी भाग में धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) से (3) तक में निर्दिष्ट किसी अपराध को करने में या किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण में लगा है या लगने वाला है ; और]

(ग) साक्षीगण अपनी जान या सम्पत्ति के क्षेत्र के सम्बन्ध में अपनी आशंका के कारण उसके विरुद्ध साक्ष्य देने को तैयार नहीं है ;

तो जिला मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को लिखित नोटिस द्वारा खण्ड (क), (ख) और (ग) के संबंध में उसके विरुद्ध सारवान् आरोपों की सामान्य प्रकृति की सूचना देगा, और उसको उनके विरुद्ध स्पष्टीकरण देने का समुचित अवसर देगा ।

(2) उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन आदेश देने का प्रस्ताव हो, अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और उसके द्वारा प्रतिरक्षित किये जाने का अधिकार होगा तथा, जब तक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उनकी राय में उसकी तदर्थ प्रार्थना परेशान या विलम्ब करने के प्रयोजन से न की गई हो, उसे, यदि वह ऐसा चाहे, स्वयं परीक्षित होने का और ऐसे अन्य किन्हीं साक्षियों को भी जिन्हें वह अपने स्पष्टीकरण के समर्थन में पेश करना चाहे, परीक्षित करने का समुचित अवसर दिया जायेगा ।

(3) तदुपरान्त जिला मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान करने पर कि उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित शर्तें विद्यमान हैं, लिखित आदेश द्वारा —

2[(क) उसे यह निर्देश दे सकता है कि वह ऐसे मार्ग से यदि कोई हों और ऐसे समय के भीतर जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अपनी स्थानीय अधिकारिता की सीमा के भीतर के क्षेत्र से या ऐसे क्षेत्र और ऐसे किसी जिले या जिलों या उनके किसी भाग से जो उससे आसन्न हो, स्वयं बाहर चला जाय और उक्त क्षेत्र या उक्त क्षेत्र और ऐसे आसन्न जिला या जिलों या उसके या उनके या उनके किसी भाग में, यथास्थित जहां से उसे स्वयं बाहर जाने का निर्देश दिया गया था, तब तक प्रवेश न करें जब तक कि छः मास से अनाधिक ऐसी अवधि जो उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय ; समाप्त न हो जाय];

(ख) (1) ऐसे व्यक्ति से, ऐसी रीति से, ऐसे समय पर और ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति को, जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाये, अपनी गतिविधि की सूचना देने या स्वयं उपस्थित होने अथवा दोनों कार्य करने की तब तक के लिये अपेक्षा कर सकता है ;

(2) उसके द्वारा किसी ऐसी वस्तु को, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, कब्जे में रखने या उसको प्रयोग करने से तब तक के लिये प्रतिबद्ध या निर्बन्धित करने का ;

(3) उसके द्वारा अन्यथा ऐसी रीति से, जैसी आदेश में निर्दिष्ट की जाय, आचरण करने का तब तक के लिये निर्देश दे सकता है —

जब तक कि छः माह से अनधिक ऐसी अवधि जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, समाप्त न हो जायें ।

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 1, 1985 की धारा 3(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 1, 1985 की धारा 3(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

4-जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके संबंध में धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन आदेश दिया गया हो, अस्थायी अवधि के लिये उस क्षेत्र में, जहां से उसे हटने का निर्देश दिया गया था, ऐसी शर्तों पर, जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे, प्रवेश करने या वापस आने को अनुज्ञा कर सकता है, और किसी भी समय ऐसी किसी अनुज्ञा का निरसन कर सकता है।

अस्थायी अवधि
के लिए वापस
लौटने की अनुज्ञा

5-जिला मजिस्ट्रेट सम्बद्ध व्यक्ति को तदर्थ अभ्यावेदन करने का अवसर, जब तक कि ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे उनका यह समाधान न हो जाय कि ऐसा करना अव्यावहारिक होगा, देने के पश्चात् धारा 3 के अधीन दिये गये आदेश में निर्दिष्ट अवधि को, सामान्य जनता के हित में समय-समय पर बढ़ा सकता है, किन्तु इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि किसी भी दशा में कुल मिलाकर दो वर्ष से अधिक न होगी।

आदेश की अवधि
में बढ़ोतरी

6-(1) धारा 3, धारा 4 या धारा 5 के अधीन दिये गये किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर आयुक्त के पास अपील कर सकता है।

अपील

(2) अपीलार्थी या उसके वकील को किसी ऐसे अभिलेख का जो धारा 3 के अधीन हुई जांच, यदि कोई हुई हो, के समय उसे प्रकट न किया गया हो, निरीक्षण करने या उसके संबंध में सूचना दिये जाने का अधिकार न होगा।

(3) आयुक्त आदेश की, परिष्कार सहित अथवा रहित, पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है, और अपील का निस्तारण होने तक आदेश के प्रवर्तन को, ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है।

7-(1) जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त—

कतिपय प्रयोजनों
के लिये मुचलके

(क) किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 3 के अधीन आदेश देने का प्रस्ताव हो, या आदेश दिया गया हो किन्तु ऐसे आदेश का प्रवर्तन धारा 6 के अधीन स्थगित कर दिया गया हो, की उपस्थित सुनिश्चित करने ; या

(ख) धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6 के अधीन किसी व्यक्ति के संबंध में दिये गये आदेश में निर्दिष्ट किसी निर्देश, अपेक्षा, प्रतिवेध, निर्बन्धन या शर्त का यथोचित अनुपालन सुनिश्चित करने ;

के प्रयोजनार्थ, किसी ऐसे व्यक्ति से, प्रतिभूओं सहित या रहित, बन्धपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकता है, और 1[दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973] के उपबन्ध ऐसे बन्धपत्र के संबंध में, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वह उक्त संहिता के अधीन निष्पादित या निष्पादित किये जाने के लिये अपेक्षित बन्धपत्र के संबंध में लागू होते हैं।

(2) विशेषतः और उपरोक्त उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना—

(क) जिला मजिस्ट्रेट धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को नोटिस जारी करते समय उसकी गिरफ्तारी के लिये वारन्ट, जिसमें उक्त संहिता की 2[धारा 71] के अनुसार पृष्ठांकित निर्देश दिया गया हो, जारी कर सकता है, और उक्त संहिता की 2[धारा 75 से 85 और 87 से 89 तक] के उपबन्ध, जहां तक हो सके, ऐसे वारन्ट के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय हो ;

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 1, 1985 की धारा 4 (क) द्वारा प्रतिस्थापित। (व० प्र० संहिता 1898 हेतु)

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 1, 1985 की धारा 4 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित। (धारा 76 व धारा 75 से 92 हेतु)

(ख) यदि कोई व्यक्ति जिसमें किसी निर्देश, अपेक्षा, प्रतिषेध, निर्बन्धन या शर्त के अनुपालन के लिये बन्ध-पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की गई हो, ऐसा करने में चूक करता है, तो उसे उस कालावधि के लिये जिसके लिये उक्त निर्देश, अपेक्षा, प्रतिषेध, निर्बन्धन या शर्त की प्रवृत्ति हो या उस कालावधि के भीतर जब तक कि वह, प्रतिभूओं सहित या रहित, यथास्थिति, आदेश के अनुसार बन्धपत्र निष्पादित नहीं करता, कारागार को सुपुर्द किया जायगा अथवा यदि वह पहले से ही कारागार में है तो वह कारागार में निरुद्ध रखा जायगा, व उक्त संहिता की ¹[धारायें 119 से 121 तक 123 और 124] के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ उस पर लागू होंगे मानो जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त न्यायालय हो ;

(ग) उक्त संहिता को ²[धारायें 445 से 447 तक] इस धारा के अधीन निष्पादित सभी बन्ध-पत्रों के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ उसी प्रकार लागू होंगी मानों जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त न्यायालय हों।

8-जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त अपना यह समाधान करने के प्रयोजनार्थ कि धारा 3 या धारा 5 के अधीन आदेश दिये जाने के लिये आवश्यक शर्तें विद्यमान हैं या नहीं, किसी ऐसे साक्ष्य पर विचार कर सकता है जिससे वह प्रमाणक मूल्य का समझें, तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

साक्ष्य की प्रकृति

9-जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त किसी भी समय धारा 3 के अधीन दिये गये आदेश का, चाहे उस आदेश की धारा 6 के अधीन पर पुष्टि की गयी हो या नहीं, निरसन कर सकता है।

आदेश का निरसन

10-जो व्यक्ति धारा 3, धारा 4, धारा 5, या धारा 6 के अधीन दिये गए आदेशों का उल्लंघन करे, वह कठिन कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है किन्तु 6 माह से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने का भी भागी होगा।

धारा 3 से 6 के अधीन आदेशों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड

11-(1) यदि धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6 के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध आदेश दिये जाने के पश्चात् ऐसा व्यक्ति—

बहिष्कासित गुण्डे द्वारा आदेश का उल्लंघन करते हुए पुनः प्रवेश आदि पर उसका बल-प्रयोग द्वारा हटाया जाना

(क) आदेश द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार जिले या उसके भाग से अपने को हटाने में चूक करता है ; या

(ख) उक्त आदेश के प्रवर्तन की अवधि में, उस क्षेत्र में, जहां से उसे हटाने का आदेश दिया गया था, पुनः प्रवेश करता है ;

तो जिला मजिस्ट्रेट उसे गिरफ्तार करा सकता है और पुलिस की अभिरक्षा में उक्त आदेश में निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर किसी ऐसे स्थान के लिये जैसा वह निर्देश दे हटवा सकता है।

(2) कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके प्रति उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई कार्य या चूक करने के लिये युक्तियुक्त संदेह हो, बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, और इस प्रकार गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को तुरन्त निकटतम मजिस्ट्रेट के पास अग्रसारित करेगा जो उसे जिला मजिस्ट्रेट के पास अग्रसारित करायेगा जो तदुपरान्त उस व्यक्ति को उक्त आदेश में निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान के लिए, जैसा वह निर्देश दे, पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा।

(3) इस धारा के उपबन्ध धारा 10 के उपबन्धों के अतिरिक्त हैं और उनके प्रभाव को कम नहीं करते।

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 1, 1985 की धारा 4 (ख) द्वारा (धारायें 120 से 122 तक व 123क, 124, 126 व 126क हेतु) प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 1, 1985 की धारा 4 (ख) द्वारा (धारायें 513, 514 व 514-क हेतु) प्रतिस्थापित।

- 12-**कोई मजिस्ट्रेट धारा 10 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, सिवाय— **अपराध का संज्ञान**
- (क) ऐसे तथ्यों की जिनसे ऐसा अपराध गठित होता हो, किसी पुलिस आफिसर द्वारा की गई लिखित रिपोर्ट पर ; या
- (ख) पुलिस आफिसर से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तिला पर या अपने इस ज्ञान या संदेह पर कि ऐसा अपराध किया गया है ;
- 13-**इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके **आदेशों के संबंध में अपवाद**
- दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी।
- 14-**(1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये, जो इस अधिनियम **अधिनियम के अधीन किए गए कार्य के लिए संरक्षण**
- या तद्धीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो, या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो, कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।
- (2) राज्य सरकार के विरुद्ध किसी ऐसी बात से, जो इस अधिनियम या तद्धीन दिए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से कि गयी हो या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो, हुयी या सम्भावित क्षति के लिये कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।
- 15-**(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों **नियम बनाने का अधिकार**
- को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।
- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन (सम्बद्ध नियमों के) उनके अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।
- 16-**उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अध्यादेश, 1970 एतद्वारा निरस्त किया **निरस्त**
- जाता है। **उ0प्र0 अध्यादेश सं0 15, 1970**